समाहरणालय,बक्सर

(स्थापना शाखा)

फोन नं0 06183-222336(0)
फैक्स नं0 06183-226935(0)
ई-मेल dm-buxar.bih@nic.in

आदेश संख्या 142 /2019–20

सक्षम प्राधिकार –सह– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक **444**/भू0अ0, दिनांक **16.07.2018** द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के ज्ञापांक **665**, दिनांक **09.07.2018** के साथ परिवाद की अनन्य संख्या **430110106111703122/1A** में आयुक्त, पटना प्रमण्डल पटना –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक **15.06.2018** को पारित विनिश्चय की प्रति प्राप्त करायी गयी है। पारित विनिश्चय में उल्लेख है कि अपीलार्थी के अनुसार मौजा–चंदा, थाना नं0–**147** खेसरा नं0–**259, 260, 267, 269, 285** की एराजी फोर लेन निर्माण हेतु विभाग द्वारा अधिगृहित कर ली गयी है तथा उक्त एराजी का मुआवजा गलत व्यक्ति अरविन्द कुमार राय, पिता–बाल मुकुन्द राय, साकिन–चिलहरी, थाना–डुमराँव, जिला–बक्सर को मो0 **10454213.13** (एक करोड़ चार लाख चौवन हजार दो सौ तेरह रूपये तेरह पैसे मात्र) का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा की गयी है। उक्त अनियमित रूप से हुये भुगतान के आलोक में आयुक्त, पटना प्रमण्डल पटना –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दोषी प्रधान लिपिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर निलंबित करने का विनिश्चय पारित किया गया है।

उपरोक्त पारित विनिश्चय के अनुपालन में सक्षम प्राधिकार –सह– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दोषी प्रधान लिपिक श्री वीरेन्द्र कुमार, जिला भू–अर्जन कार्यालय, बक्सर के विरूद्ध नगर थाना काण्ड सं0 **390/2018** द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर पत्रांक **444**, दिनांक **16.07.2018** द्वारा श्री कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी थी। साथ ही पत्रांक **483**, दिनांक **27.07.2018** द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर आरोप पत्र प्राप्त कराया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि श्री कुमार जिला भू–अर्जन कार्यालय, बक्सर में पदस्थापन अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 **84** के चौड़ीकरण संरचना हेतु भू–अर्जन अन्तर्गत श्री भगवान सिंह, पिता श्री लक्ष्मी सिंह को मौजा–कठार, थाना नं0 **103**, खाता सं0 **496**, खेसरा सं0 **2821** अनावाद बिहार सरकार पर बने अवैध संरचना हेतु अवैध रूप से **701088.00** (सात लाख एक हजार अठासी) रूपये मात्र का भुगतान किया गया है।

श्री कुमार द्वारा अभिलेख में जमीन का किस्म अनावाद बिहार सरकार अंकित कराया गया है। उसके बावजूद भी बन्दोबस्ती के पूर्व जान–बुझकर अनावाद बिहार सरकार पर बने संरचना का भुगतान किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता को स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त अन्य आरोप भी गठित किया गया है।

परिवाद के अनन्य संख्या **430110106111703122/1A** में दिनांक **15.06.2018** को आयुक्त, पटना प्रमण्डल पटना –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित विनिश्चय एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, **2005** के नियम **9** में निहित प्रावधान के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन लिपिक जिला भू–अर्जन कार्यालय, बक्सर सम्प्रति वर्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय, राजपुर को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक **01–1191**/स्था0, दिनांक **28.07.2019** द्वारा निलंबित करते हुए निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, बक्सर निर्धारित किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, **2005** के नियम **17** में विहित प्रावधान के तहत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

इसी क्रम में वर्णित सभी अभिलेखों की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री वीरेन्द्र कुमार, निलंबित लिपिक द्वारा अभिलेख पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री भगवान सिंह पिता स्व0 लक्ष्मी सिंह, सा0–कठारखुर्द को मुआवजा भुगतान हेतु भेजे गये बैंक एडभाईस पर श्री सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जानबूझकर अभिलेखों पर हस्ताक्षर अंकित नहीं की गया, जो उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है।

श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादनोपरांत अपर समाहर्त्ता, बक्सर –सह– संचालन पदाधिकारी के पत्रांक **03–1800** / रा0, दिनांक **14.09.2019** द्वारा प्राप्त अभिलेख में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र **'क'** में गठित आरोपों को प्रमाणित पाये जाने की अनुशंसा की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप	आरोपी द्वारा संचालन पदाधिकारी को प्रस्तुत स्पष्टीकरण	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य	आरोपी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन
1	2	3	4	5
1.	<u>आरोप संख्या–01</u> श्री वीरेन्द्र कुमार के लिपिक के रूप में पदस्थापन काल में अनावाद बिहार सरकार पर बने अवैध संरचना हेतु अवैध रूप से **701088.00** (सात लाख एक हजार अठासी रूपये) मात्र का भुगतान के संदर्भ में कार्यालय के पत्रांक **414**, दिनांक **30.12.2017** के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। श्री कुमार द्वारा दिनांक **01.02.2018** को समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि यह भुगतान भू–अर्जन अधिनियम एवं नियमावली के तहत किया गया है, जबकि सरकार के विभागीय पत्रांक **6473**, दिनांक **07.10.1971** में स्पष्ट अंकित किया गया है कि सरकारी भूमि के बन्दोबस्ती के उपरान्त हीं मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है। श्री कुमार द्वारा अभिलेख में अनावाद बिहार सरकार अंकित होने के बावजूद भी बन्दोबस्ती के पूर्व जान–बुझकर	उक्त आरोप के संदर्भ में कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 84 के लिए अर्जित भूमि मौजा–कठार, थाना नं0–103, खाता संख्या–496, खेसरा संख्या–2821 अनावाद बिहार सरकार पर बने संरचना के मूल्यांकन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यान्वयन इकाई, पटना के सहयोग से कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा किया गया है। तदोपरांत एन0एच0ए0आई0, पटना से प्राक्कलन स्वीकृत होने के पश्चात् मुआवजा के मूल्यांकनोपरांत हितबद्ध रैयत श्री भगवान सिंह, पिता– श्री लक्ष्मी सिंह, सा0–कठार को तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। नोटिस तामिला के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर हितबद्ध रैयत को संरचना के मुआवजा भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के हितबद्ध व्यक्ति, प्रभावित परिवार, भू–स्वामी की परिभाषा निम्नवत है :– (X) हितबद्ध व्यक्ति से तात्पर्य है :– "I" इस अधिनियम के अधीन भूमि के अधिग्रहण के कारण दिये जाने वाले प्रतिकार में एक हित के दावा करने वाले सभी व्यक्ति। "III" भूमि को प्रभावित करने वाले एक (easement) में हितबद्ध एक व्यक्ति। उक्त अधिनियम में भूमि धारण करने की परिभाषा निम्नवत है :–	श्री कुमार के द्वारा मौजा – कठार, थाना नं0–103, खाता संख्या–496, खेसरा संख्या–2821, रकबा–0.055 हेक्टेयर जो अनावाद बिहार सरकार की भूमि है, के संबंध में अभिलेख में अंकित होने के बावजूद संबंधित भूमि पर बने अवैध संरचना का भुगतान किया गया है, जबकि मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस के उपरान्त प्राप्त कागजात के आधार पर सरकारी जमीन के मामले में अगर बन्दोबस्ती नही की गई हो एवं संरचना अवैध हो, तो ऐसी स्थिति में विभागीय निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी के समक्ष मामले को निर्णयार्थ रखा जाना है तथा निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जानी है। श्री कुमार द्वारा अपने बचाव में जो तथ्य स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है, वह साक्ष्य आधारित प्रमाणित नहीं है।	यह बताना आवश्यक है कि लाभुक के द्वारा संरचना के भुगतान का आवेदन भू–अर्जन पदाधिकारी को दिया गया, तत्पश्चात जॉचोपरांत भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा आवेदन कार्यालय को संदर्भित किया गया। इसके पश्चात कार्यालय द्वारा आवेदन पर संरचना की राशि की गणना कर भू–अर्जन पदाधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात भू–अर्जन पदाधिकारी –सह– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बैंक को पत्र से राशि हस्तान्तरण करने हेतु भेजा गया है। इसमें लिपिक का दोष नहीं है। भुगतान मेरे द्वारा नहीं भू–अर्जन पदाधिकारी –सह– सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। कार्यालय द्वारा सिर्फ भू–अर्जन पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन किया गया है।